

कार्यालय नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0, भोपाल.

क्रमांक जी0बी0/5 (वि-10) 2022-23/1081

भोपाल, दिनांक 20/06/2023

निविदा सूचना


शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, स्थित मुद्रणालयों में एकत्रित कागज की रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटको के विक्रय हेतु आई.टी.विभाग की वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर निविदा 03/07/2023 समय 12:00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं।

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा में प्रस्तुत दस्तावेज 04/07/2023 समय अपराह्न 02:00 बजे तक उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष डाउनलोड कर खोला जायेगा। निविदाकार की अनुपस्थिति में उपस्थित हुए प्रतिनिधि को अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. निविदा विज्ञप्ति एवं शर्तों आदि को अवलोकन हेतु शासकीय प्रेस की www.govtpressmp.nic.in में रखा गया है।

4. सूचना/संशोधन या सुधार की स्थिति में जानकारी आई.टी. विभाग की वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

(नस्ती पर नियंत्रक द्वारा अनुमोदित)


उप नियंत्रक

वास्ते नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
म.प्र. भोपाल

निविदा हेतु निर्धारित समय एवं तिथि

1. आनलाईन निविदा भरे जाने की अंतिम तिथि : 03/07/2023 समय 12:00 पीएम
2. ऑनलाइन तकनीकी भाग खोलने की अंतिम तिथि : 04/07/2023 समय 2:00 पीएम

1. शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल के परिसर में उपलब्ध रद्दी कतरन (उपयोग किए गए पेपर की कतरन) तथा रील कोर के खाली गुटके के विक्रय हेतु आई.टी. विभाग की वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर इच्छुक निविदाकारों को सामग्री विक्रय हेतु दर प्रति किलो ग्राम समस्त कर सहित की-डेट अनुसार ऑन लाईन दरें आमंत्रित की जाती हैं।
तकनीकी निविदा की अनिवार्य अर्हताएं :-

- 1.1 निविदा प्रपत्र रूपये 1000=00 प्रोसेसिंग फीस एवं कर अतिरिक्त का ऑनलाईन भुगतान कर क्रय किया जा सकेगा।
- 1.2 ई.एम.डी.राशि रूपये 30,000=00 का भुगतान ऑनलाईन जमा करना होगी एवं प्रमाण स्वरूप ऑन लाईन जमा राशि का अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- 1.3 जी.एस.टी.का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- 1.4 निविदा एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर सहमति स्वरूप निविदाकार के हस्ताक्षर एवं रबर सील लगाकर प्रस्तुत करना होगा।
- 1.5 निविदाकर्ता फर्म स्थापित होने संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- 1.6 निविदाकर्ता फर्म के मालिक/पार्टनर का नाम एवं पूर्ण पता।
- 1.7 निविदाकार फर्म के पेन कार्ड/जी.एस.टी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- 1.8 निविदाकार फर्म के लेटर हेड पर इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करें किसी भी शासकीय कार्यालय द्वारा निविदाकार फर्म का नाम काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में नहीं डाला गया है।
- 1.9 निविदाकार फर्म के लेटर हेड पर फर्म का पूर्ण पता पिन कोड, दूरभाष, ई-मेल एड्रेस प्रस्तुत करना होगा।
- 1.10 अधिकृत प्रतिनिधि के नाम प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर।
- 1.11 विगत तीन वर्षों का फर्म का सी.ए. द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र ।

(उपरोक्त 1.1 से 1.11 तक के समस्त दस्तावेजों को निविदाकर्ता फर्म द्वारा ऑनलाईन अपलोड करना होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी)।

नियम एवं शर्तें

1. शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की एकत्रित कागज की रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों के विक्रय हेतु आई.टी.विभाग की वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> पर इच्छुक निविदाकारों को सामग्री विक्रय हेतु प्रति किलो ग्राम समस्त कर सहित की ऑनलाईन निविदा की की-डेट्स अनुसार दरें आमंत्रित की जाती हैं।
2. निविदा स्वीकृत कर अनुबंध करने की सूचना भेजे जाने पर तीन कार्य दिवस के अंदर प्रतिभूति की राशि जमा कर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा, ऐसा ना करने की स्थिति में टेण्डर डिपॉजिट की राशि राजसात कर, H-2 निविदाकार को अवसर दिया जावेगा। बकाया हानि की वसूली डिफाल्टर निविदाकार से की जावेगी, साथ ही डिफाल्टर निविदाकार को आगामी तीन वर्ष तक शासकीय मुद्रणालय की निविदा में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा। रद्दी कतरन विक्रय करते समय दस टन ट्रक में रद्दी का शुद्ध बजन आठ टन एवं पन्द्राह टन के ट्रक में बारह टन रद्दी का शुद्ध बजन प्राप्त होना अनिवार्य होगा। यदि तोल में उक्त से कम शुद्ध बजन प्राप्त होने की स्थिति में तत्काल रद्दी कतरन का विक्रय रोक दिया जावेगा।
3. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को प्रतिदिवस विक्रय की गई रद्दी कतरन के बजन से (भरे एवं खाली ट्रक) तथा विक्रय की राशि से मुख्यालय को अवगत कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. सफल निविदाकारों को प्रतिभूति राशि नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, M0प्र0, भोपाल के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक की 12 माह की अवधि का एफ. डी. आर. तैयार कर एक वर्ष के लिए अनुबंध निष्पादन करना होगा, जो निम्नानुसार होगा:-

स.क्र	मुद्रणालय का नाम	प्रतिभूति राशि
1.	शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल	2,00,000=00

5. जी.एस.टी. सहित अन्य सभी कर जमा करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा। अंकित किये गये भाव के अतिरिक्त यह नियमानुसार देना होगा।
विभाग का जी.एस.टी.नम्बर 23AAALD0979P3ZR

6. वर्ष 2022-23 तक एकत्रित रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटके यथा स्थिति में उठाना अनिवार्य होगा, तथा सामग्री संपूर्ण रूप से उठा ली गई है, का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

7. सफल निविदाकार को मुद्रणालय में वर्ष 2020-21 की एकत्रित रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों का अनुबंध निष्पादन उपरान्त, सामग्री फर्म को उठानी होगी। रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटके निर्धारित तिथि पर न उठाने की स्थिति में नियंत्रक द्वारा अनुबंध आदेश निरस्त किया जावेगा तथा पृथक से शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
8. वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की समस्त रद्दी कतरन तथा रील कोर के खाली गुटके उठाने का प्रमाण-पत्र, कार्यालय उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय भोपाल से प्राप्त होने पर और अनुबंध में दी गई शर्तों के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत न होने पर ही प्रतिभूति की धनराशि नियंत्रक की स्वीकृति उपरान्त वापिस की जावेगी अन्यथा शर्त क्रमांक-8 एवं 9 के उल्लंघन पर पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी।
9. अनुबन्ध निष्पादित करने वाले निविदाकार इस निविदा के अंतर्गत ठेके को उप भाड़े पर नहीं देगा अथवा कार्य या उसका कोई भाग हस्तांतरित/अधिकृत नहीं करेगा और न ही अनुबंध के अधीन किसी को भुगतान हेतु अधिकृत करेगा।
10. निविदा का प्रेषण इस बात का प्रमाण समझा जावेगा कि निविदाकर्ता को निविदा में निबद्ध समस्त शर्तें और प्रतिबंध मान्य हैं। निविदाकार फर्म द्वारा दी गई कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी।
11. पुरानी सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि यदि इस कार्यालय में जमा हो तो वह इस निविदा के अंतर्गत मान्य नहीं होगी।
12. रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों की तौल, सफल निविदाकार को अपने मजदूर लगाकर अपने ट्रक में जहाँ है जैसी है को भरवाकर, ट्रक की तौल समिति के सदस्यों की उपस्थिति में धर्मकांटे पर करवानी होगी। खाली ट्रक का वजन जिस धर्मकांटे पर किया जावेगा उसी धर्मकांटे पर भरे ट्रक का वजन किया जावेगा। भरे ट्रक के वजन से खाली ट्रक का वजन घटाने से प्राप्त रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों का वजन ही मान्य किया जायेगा।

- 13 अनुबंधकर्ता फर्म को रद्दी कतरन, रील कोर के खाली गुटके जो मुद्रणालय में उपलब्ध होंगे जहाँ है, जैसे है उस हालत में उठाने होंगे। ट्रक जिस दिन आयेगा, उसी दिन अनिवार्यतः बाहर जायेगा, तथा कार्यालयीन समय में ही विक्रय किया जायेगा। रद्दी कतरन, रील कोर के खाली गुटकों को श्रेणीकरण करने या छँटाई आदि हेतु शासकीय मुद्रणालय का परिसर प्रयोग नहीं किया जायेगा ऐसा करने पर रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) प्रतिदिन की शास्ति अधिरोपित की जावेगी एवं उपरोक्त सामग्री फैलाये जाने की स्थिति में सफाई का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का ही होगा।
 - 14 किसी भी परिस्थिति में समय वृद्धि नहीं की जायेगी।
 15. रद्दी कतरन, रील कोर के खाली गुटकों के अतिरिक्त शासकीय मुद्रणालय की अन्य किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाया जायेगा। सामग्री उठाने हेतु संबंधित कार्यालय को सूचित कर अनुमति एवं पास लेना होगा।
 - 16 नियंत्रक को किसी भी निविदा को मान्य करने या अमान्य करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिये कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
 - 17 रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों के विक्रय की निविदा, शर्तों अथवा प्रक्रिया के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर नियंत्रक का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा एवं उक्त निर्णय निविदाकार को मान्य करना बंधनकारी होगा।
 - 18 किसी भी विवाद की स्थिति में अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत पंच निर्णय हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग को भेजा जावेगा और उनका निर्णय दोनों पक्षों पर बन्धन कारी होगा। पंच निर्णय हेतु आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलिंग एक्ट 1996 के प्रावधान लागू होंगे।
- नोट:- निविदाकार शर्तों पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर, पदमुद्रा सहित अंकित कर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।


नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0,भोपाल।

कामर्शियल दर पत्रक

स.क्र	मुद्रणालय का नाम	सामग्री का विवरण	दर प्रति किलो ग्राम समस्त कर सहित
1	2	3	4
1.	शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल	1- रद्दी कतरन	
		2- रील कोर के खाली गुटके	